उपखण्ड अधिकारी
लालसोट जिला दौसा (राज०

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लालसोट (दौसा)

किस्म मुकदमा (फर्द अहकाम (नियम 26) फार्म 111

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

पाना देवी बनाम् बादामी देवी आदि

मुकदमा संख्याः 244/2017

वाद पत्र अधिघोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय दिनांकः— 20—08—2020

उपस्थितः— वादीनी की ओर से अधिवक्ता श्री के.के.सैनी प्रथम
प्रतिवादी सं01 की ओर से अधिवक्ता श्री के.के.सैनी द्वितीय
प्रतिवादी सं02 अनुपस्थित

संक्षिप्त में वृतान्त इस प्रकार हैं कि वादीया की ओर से वाद पत्र अधिघोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 13—07—2020 को इन अभिवचनो के साथ प्रस्तुत किया गया कि आराजी भूमि ख0नं0 नम्बर 1942 रकबा 2 बीघा, ख0नं0 1943 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा, ख0नं0 1946 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा, ख0नं0 4382/1934 रकबा 15 बिस्वा, ख0नं0 4384/1935 रकबा 8 बिस्वा, ख0नं0 4388/1944 रकबा 8 बिस्वा कुल किता 6 कुल रकबा 7 बीघा 18 बिस्वा वाकै कस्बा लालसोट तहसील लालसोट जिला दौसा में स्थित हैं जिसमे प्रतिवादी सं01 के नाम दर्शनीय तौर पर हिस्सा 1/2 राजस्व अभिलेख में वर्णित हैं। उक्त आराजी भूमि को वादी तथा प्रतिवादी सं01 व उनके पुरूष सदस्यो द्वारा अपने संयुक्त हिन्दू परिवार की आय से लगभग 12 वर्षो पूर्व खरीद किया जाकर प्रतिवादी सं01 जो परिवार की बडी बहु थी के नाम राजस्व रिकार्ड में करवा दी गई तथा विवादित भूमियो में परिवार के बुर्जुग छीतर द्वारा दोनो भाईयो हंसराज व मुकेश व उनकी पत्नीयो को विवादित

उपखण्ड अधिकारी
लालसोट जिला दौसा (राज०

भूमि में बराबर बराबर भूमि पर काबिज करवा दिया तब से आज तक वादी व प्रतिवादी सं01 बराबर बराबर भूमि पर काबिज रहकर काश्त कर लाभान्वित होते आ रहे हैं। विवादित भूमि संयुक्त हिन्दू परिवार की पारिवारिक आय से खरीद कि गई सम्पत्ति हैं तथा दिनांक 02–06–2016 को वाद कारण उत्पन्न होकर वादीनी द्वारा अनुतोष चाहा गया कि विवादित भूमि हिस्सा 1/2 में से वादीनी को हिस्सा 1/4 का खातेदार व काबिज काश्तकार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादी सं01 का हिस्सा 1/4 रहेगा तथा शेष 1/2 हिस्सा गुलकन्दी देवी पत्नी चौथमल के नाम यथावत् रहेगा तथा साथ ही स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा गया। वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर का नोटिस जारी किये गये तत्पश्चात् प्रकरण में प्रतिवादी सं01 की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत कर वाद पत्र के अभिवचनो को स्वीकार किया जाकर वाद पत्र को मुताबिक अनुतोष डिक्री करने में सहमति जाहिर की गई तथा प्रकरण में राजीनामा पेश किया गया जो बाद जांच तस्दीक किया गया तथा प्रकरण को लोक अदालत की भावना से मुताबिक राजीनामा निर्णित करने का कथन किया। प्रकरण में वादी अधिवक्ता की ओर से न्यायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 2007 पेज 162 Som Dev.& others v/s Rati Ram& Another (Supreme Court) आर.बी.जे. 1998 पेज 615 राज0 सरकार बनाम् कानसिंह (राजस्व मण्ड़ल अजमेर) व माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय दिनांक 18–08–2020 प्रस्तुत किया गया जिनका सम्मानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया जिससे प्रतित होता हैं कि विवादित भूमि संयुक्त हिन्दू परिवार की आय से क्रय की गई सम्पत्ति हैं तथा पक्षकारान के मध्य पारिवारिक समझौता भी हुआ हैं जिसके अनुसारा राजीनामा पेश किया गया हैं जिसमे प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा अपनी सहर्ष सहमति व्यक्त की गई हैं तथा विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के प्रावधानानुसार तथा सी.पी.सी. आदेश 12 में वर्णित प्रावधानो को मद्देनजर रखते हुये उभय पक्षकारान की सहमति व राजीनामा

उपखण्ड अधिकारी
लालसोट जिला दौसा (राज०)

उपखण्ड अधिकारी
लालसोट जिला दौसा (राज०

अनुसार वादीया का वाद पत्र वादीया के हक में डिक्री किया जाकर मुताबिक राजीनामा वादीया को विवादित भूमि वाकै कस्बा लालसोट में हिस्सा 1/4 का खातेदार व काबिज काश्तकार घोषित किया जाना उचित हैं।

आदेश

अतः वाद पत्र बाबत् अधिघोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा वादीया पानीदेवी के हक में स्वीकार किया जाकर आराजी ख0नं0 1942 रकवा 2 बीघा, ख0नं0 1943 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा, ख0नं0 1946 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा, ख0नं0 4382/1934 रकबा 15 बिस्वा, ख0नं0 4384/1935 रकबा 8 बिस्वा, ख0नं0 4388/1944 रकबा 8 बिस्वा कुल किता 6 कुल रकबा 7 बीघा 18 बिस्वा वाकै कस्बा लालसोट तहसील लालसोट जिला दौसा में वादीनी पाना देवी पत्नी मुकेश माली को हिस्सा 1/4 का खातेदार व काबिज काश्तकार घोषित किया जाता हैं तथा प्रतिवादी सं01 बादामी देवी पत्नी हंसराज माली का हिस्सा 1/4 रहेगा तथा शेष 1/2 हिस्सा गुलकन्दी पत्नी चौथमल माली का यथावत् रहेगा। तथा उभय पक्षो को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा सदैव के लिये पाबंद किया जाता हैं कि वे एक दूसरे के कब्जे काश्त में व्यवधान नहीं करेगें। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी किया जावे तथा तदानुसार राजस्व अभिलेख में पालना करने हेतू तहसीलदार लालसोट को लिखा जावें।

निर्णय आज दिनांक 20–08–2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
लालसोट जिला दौसा (राज०

(गोपाल जांगिड़, आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी लालसोट
जिला दौसा (राज0)